Use of Time-Barred Medicines in Hospitals of Delhi Corporation

1148. SHRI G. Y. KRISHNAN : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY PLANNING AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT be pleased to state :

(c) whether it is a fact that in certain hospitals of Delhi Corporation, time-barred medicines are being used for patients;

(b) whether it is also a fact that a number of injections and other medicines are issued from the Medical Stores after the expiry of the period; and

(c) if so, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING; AND WORKS, HOUSING AND URBAN DEVELOPMENT (SHRI B. S. MURTHY) : (a) No.

(b) No.

(c) Does not arise.

Conversion of Leave into Salary

1149. SHRI G. Y. KRISHNAN :
SHRI RAJ DEO SINGH :

Will the Minister of FINANCE be pleased to state :

(a) whether there is any proposal before the Government for the 'Conversion of leave into salary' of the Central Government Employees;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI P. C. SETHI) : (a) Yes, Sir. Attention is invited to the reply given to Starred Question No. 305 by Shri D. N. Patodia answered on 1.12.1969.

(b) Briefly the suggestion is that if a Government servant applies for and is granted earned leave for a period of two months in a block of two years he may be allowed the facility of surrendering one months leave getting leave salary in lieu.

(c) Does not arise.

वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न स्वायत्त-शाली निकायो द्वारा हिन्दी में पत्रों के उत्तर दिये जाना

1150. **श्री बंश नारायण सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम, भारत का रिजर्व बैंक, यूनिट ट्रस्ट तथा वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत सभी अन्य स्वायत्तशासी निकायों द्वारा जनता से हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों के उत्तर हिन्दी में देने के लिये कोई प्रबन्ध करने तथा हिन्दी राज्यों में स्थित ऐसे सभी कार्यालयों में सम्पूर्ण काम हिन्दी में करने का सरकार का विचार है ;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसा व कब तक करने का विचार है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत स्वायत्त-शाली निकाय हिन्दी में प्राप्त हुए पत्रों का उत्तर ही नहीं देते हैं ; और

(घ) क्या उपरोक्त भाग (क) में उल्लिखित सभी कार्यालयों में हिन्दी में काम करने के लिये कुछ हिन्दी अनुवादक तथा हिन्दी टाइपिस्ट नियुक्त करने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). रिजर्व बैंक ने अपने विभिन्न कार्यालयों को हिदायत की है कि वे हिन्दी में प्राप्त होने वाले पत्रों का उत्तर हिंदी में ही दें। यही व्यवस्था भारतीय यूनिट ट्रस्ट में विद्यमान है। हिन्दी-भाषी प्रदेशों में स्थित,

जीवन बीमा निगम के कार्यालयों में प्राप्त होने वाले हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही देने का प्रयास किया जाता है। जीवन बीमा निगम ने, हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में पालिसी धारियों, एजेण्टों और जन-साधारण की सुविधा के लिए बहुत से प्रपत्र (फार्म) भी हिन्दी में जारी कर दिये हैं। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ने अपने मुख्य कार्यालय में, हिन्दी पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने का प्रबन्ध किया है। औद्योगिक वित्त निगम ऐसी व्यवस्था कर रहा है कि जहां तक हो सके हिंदी पत्रों के उत्तर के साथ उस का हिन्दी अनुवाद भी संलग्न कर दिया जाए। भारतीय राज्य बैंक ने सूचित किया है कि बैंक का अधिकतर कारोबार मौखिक रूप से होता है और वह ग्राहक की ही भाषा में सम्पन्न किया जाता है अतः किसी ग्राहक को केवल हिन्दी में पत्र-व्यवहार करने के कारण असुविधा नहीं होती। स्टेट बैंक में कुछ पत्रों का उत्तर हिन्दी में देने की शुरूआत की गयी है। जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकों का संबंध है, उनमें स्टेट बैंक में विद्यमान वर्तमान व्यवस्था को उचित परिवर्तनों के साथ लागू किया जायगा। चूंकि ये सभी स्वशासी संगठन अखिल भारतीय स्तर के हैं अतः हिन्दी-भाषी क्षेत्रों में स्थित इनके कार्यालयों के लिए अपने कारोबार में अंगरेजी का प्रयोग बन्द करना सम्भव न होगा। पूर्णतः हिन्दी भाषा में काम शुरू करने के बारे में समय की कोई सीमा निश्चित करना उनके लिये सम्भव नहीं है।

विभिन्न मंत्रालयों द्वारा मांगे गये अतिरिक्त हिन्दी अनुवादक, हिन्दी टाइपिस्ट और हिन्दी टाइपराइटर

1151. **श्री बंश नारयण सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के किन-किन मंत्रालयों ने 1968 के उत्तरार्द्ध में और वर्ष 1969 में हिन्दी अनुवादकों और हिन्दी टाइपिस्टों के अतिरिक्त पद तथा हिन्दी टाइपराइटर मांगे थे और प्रत्येक मंत्रालय ने कितनी धनराशि मांगी थी ;

(ख) प्रत्येक मंत्रालय के लिए कितने पद और कितनी धनराशि मंजूर की गई ;

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि विभिन्न मंत्रालयों में नियुक्त उपवित्तीय सलाहकार अथवा सहायक वित्तीय सलाहकार अपने हिन्दी विरोधी दृष्टिकोण के कारण हिन्दी कार्य के बारे में मांगों को या तो नामंजूर कर देते हैं अथवा उन्हें अत्याधिक कम कर देते हैं ; और

(घ) क्या हिन्दी शिक्षण योजना के अन्तर्गत 1 जनवरी, 1961 को 45 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से शीघ्र हिन्दी सीखने के लिए कहने का सरकार का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्र० चं० सेठी : (क) और (ख). कुछ मंत्रालयों/विभागों के संबंध में सूचना, जो तत्काल इकट्ठी की जा सकी, सभा पटल पर रखे गये विवरण-पत्र में दी गयी है। [ग्रन्थालय में रख दिया गया। देखिये संख्या LT—2672/70] शेष मंत्रालयों /विभागों के संबंध में सूचना इकट्ठी की जा रही है और यथासंभव शीघ्र ही सदन की मेज पर रख दी जायगी।

(ग) जी नहीं। हिन्दी कर्मचारियों आदि के लिए मंत्रालयों के प्रस्तावों की यथास्थिति जांच की जाती है।

(घ) गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी हिदायतों के अनुसार, उल्लिखित आयु समूह के व्यक्तियों को यथासंभव अधिकतम सीमा तक हिन्दी प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत समूहों में प्रशिक्षण लेने के लिये प्रोत्साहित किया जा रहा है।